भाग - 3 मूल अधिकार ⇓ मौलिक अधिकार — Fundamental Rights

अनु - 12 - 35

⇒ सर्वप्रथम मूल अधिकार की माँग - 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था।

⇒ सन् 1928 में नेहरु Report संविधान में अधिकार की बात किया गया।

⇒ सन् 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का माँग किया गया। सरदार वल्लभभाई ⇐

⇒ राज्य के विरुद्ध जनता का अधिकार है।

⇓

"सेवा का अधिकार"

⇓

ब्रिटेन ⇒ सन् 1215 ⇒ जनता का अधिकार

⇓

मैग्नाकार्टा।

⇒ "मूल अधिकार" को भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा कहते है।

⇒ मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है।

↳ मूल अधिकार को लागू करने का अधिकार अनु-32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास है।

↳ मूल अधिकार को "राष्ट्रीय आपात काल" (→ अनु० 352) के स्थिति मे मूल अधिकार को निलम्बित करने की शक्ति है।

* रा० आ० का० की घोषणा होते ही अनु-19 तत्काल प्रभाव से निलम्बित
* 44वा C.A.A. 1978 के द्वारा अनु 20 और 21 किसी भी दशा मे निलम्बित नही होगा।

↳ यह अधिकार साकारात्मक और नाकारात्मक दोनो है।

⇓ प्रदान किया गया

⇓ प्रतिबंध लगाया गया।

↳ यह अधिकार सिमित (Limited) है।

↳ मूल अधिकार भारतीय और विदेशी दोनो के लिए है, लेकिन अनु. 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर क्योंकि यह केवल भारतीय नागरिकों का अधिकार।

⑦ संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनु- 32 ⇒ 1 अनु०

आरम्भ में मूल अधिकार 7 थे, अब 6 हैं।

संख्या

① ⇒ समता या समानता का अधिकार — अनु०-14-18 – 5 अनु०

② ⇒ स्वतन्त्रता का अधिकार — अनु-19-22 – 4 अनु०

↳ मूल अधिकार का मेरुरज्जु

③ ⇒ शोषण के विरुद्ध अधिकार — अनु-23 और 24 – 2 अनु०

④ ⇒ धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार – अनु- 25-28 – 4 अनु०

⑤ ⇒ शिक्षा संस्कृति संरक्षण का अधिकार – अनु-29 और 30 – 2 अनु०

⑥ ⇒ सम्पत्ति का अधिकार — अनु- 31 → निरसित- 44वां C.A.A.

↳ विधिक → अनु- 300A

अनु०-12÷ "राज्य" को परिभाषित किया गया है।

"राज्य"
→ संघ का संसद —— संघ की सरकार → कर्मचारी (Servent)
→ राज्य का विधान मण्डल → राज्य की सरकार → प्राधिकरण (Tribes)

प्राधिकरण ÷ पंचायती राज व्यवस्था, Pvt. Ltd., नवरत्न, महारत्न
LIC.